न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर

अपील डिक्री/टीए/5791/2003/नागौर

1— लक्ष्मीनारायण पुत्र रामकिशन, जाति ब्राहमण (फौत) जरिये वारिसानः—
1/1— विमला देवी पत्नि स्व0 लक्ष्मीनारायण,
1/2— ईश्वरलाल पुत्र स्व0 लक्ष्मीनारायण,
1/3— सतीश पुत्र स्व0 लक्ष्मीनारायण,
1/4— श्याम कान्त पुत्र स्व0 लक्ष्मीनारायण,
1/5— रेखा पुत्री स्व0 लक्ष्मीनारायण,
1/6— संगीता पुत्री स्व0 लक्ष्मीनारायण,
समस्त जाति ब्राह्मण, निवासी खेडीलीला, तहसील मकराना, जिला नागौर।

अपीलान्टस

बनाम

1— श्याम सुन्दर पुत्र जगदीश,
2— सुखराम पुत्र स्व0 रामस्वरूप,
3— प्रेमचंद पुत्र स्व0 रामस्वरूप,
4— पार्वती बेवा रामस्वरूप,
5— विमला पुत्री रामस्वरूप,
6— नानी पुत्री रामस्वरूप,
7— संतोषी पुत्री रामस्वरूप,
8— रामदयाल पुत्र जोरावर,
9— बालमुकन्द पुत्र रामप्रसाद,
10— तुलसीराम पुत्र रामप्रसाद,
11— रामकुमार पुत्र रामप्रसाद,
12— शिवचंद पुत्र रामप्रसाद,
13— अमरचंद पुत्र रामप्रसाद,
14— राजाराम पुत्र रामप्रसाद,
15— रामेश्वरी बेवा रामप्रसाद,
16— रामदेव पुत्र रामप्रसाद,
समस्त जाति ब्राहम्ण, निवासी खेडीलीला, तह0 मकराना, जिला नागौर।
17— तहसीलदार, मकराना ।

...रेस्पोन्डेन्ट्स

खण्ड पीठ

श्री राजेश्वर सिंह, अध्यक्ष
श्री सी0आर0 मीणा, सदस्य

उपस्थितः—
श्री डूंगरसिंह राठौड़, अभिभाषक अपीलान्टस ।
श्री वी0एस0राठौड़, अभिभाषक रेस्पोन्डेन्ट्स ।

————————

निर्णय

दिनांकः— 16.11.2022

अपीलांटस द्वारा यह द्वितीय अपील राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 224 के अंतर्गत न्यायालय विद्वान राजस्व अपील प्राधिकारी, नागौर द्वारा अपील संख्या 04/2001 उनवानी श्यामसुन्दर बनाम रामदयाल व अन्य में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 31.10.2003 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई हैं।

2— प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि रेस्पो0 संख्या 1 व 2 लगायत 7 के पिता व पति रामस्वरूप ने एक वाद वास्ते घोषणा हुक्मइमतनाई दवामी अंतर्गत धारा 188 का सहायक कलक्टर, मकरना के न्यायालय में प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मौजा डोबडी कला में स्व0 जोरावरमल की भूमि खसरा नंबर 190, 190/1, 190/2 व 225 कुल रकबा 82 बीघा 8 बिस्वा भूमि थी । स्व0 जोरावरमल के चार पुत्र जगदीश, रामदयाल, रामाकिशन व रामप्रसाद हुए। जगदीश के वारिस वादीगण/रेस्पो0 संख्या लगायत 7 है एवं रेस्पो0 संख्या 8/प्रतिवादी रामदयाल पुत्र जोरावमल जीवित है । रेस्पो0 संख्या 9 लगायत 16 स्व0 रामप्रसाद के वारिसान है । रामाकिशन पुत्र जोरावरमल को तीन वर्ष की आयु में ही चुन्नीलाल ने गोद ले लिया था तब से रामाकिशन को चुन्नीलाल ने ही पाला—पोसा एवं उसकी शादी जलगांव (महाराष्ट्र) में की एवं उन्होंने वहीं रहकर कारोबार किया । अपीलांट/प्रतिवादी संख्या 2 रामाकिशन का पुत्र है । रामाकिशन को फौत हुए 20 वर्ष हो चुके है । अतः वादीगण/रेस्पो0 संख्या 1 लगायत 7 का 1/3 हस्सा है एवं प्रतिवादी संख्या 1 रामदयाल का 1/3 हिस्सा एवं रेस्पो0 संख्या 8 लगायत 16 का 1/3 हिस्सा वादग्रस्त आराजियात में है । रामाकिशन चुन्नीलाल के गोद चला गया इसलिये उसका व उसके वारिसों का उक्त आराजी में कोई हक व हिस्सा नही है तथा ना ही उन्होंने कभी काबिज होकर काश्त की है । यह भी निवेदन किया कि रामदयाल ने अपने हिस्से की आराजी में से 20 बीघा भूमि तुलछीराम व बालमुकन्द पि0 रामप्रसाद को बेचान कर दी । रामदयाल के पास 7 बीघा 9 बिस्वा भूमि शेष रही है । रामाकिशन के फौत होने पर राजस्व रिकार्ड में जरिये नामांतकरण प्रतिवादी लक्ष्मीनारायण/अपीलांट का नाम दर्ज हुआ है जो गलत है ।

रामाकिशन के गोद चले जाने से उसका या उसके वारिसों का उक्त वादग्रस्त आराजी में कोई हक व हिस्सा नहीं है । अतः लक्ष्मीनारायण का नाम राजस्व रिकार्ड में गलत दर्ज हुआ है । वादीगण अपने हिस्से की 1/3 हिस्से (27 बीघा 9 बिस्वा) भूमि पर काबिज काश्त है लेकिन प्रतिवादीगण/अपीलांट व रेस्पो0 संख्या 8 लगायत 16 ने गलत इंद्राजात के आधार पर वादीगण को वादग्रस्त भूमि से बेदखल करने पर उतारू है एवं भूमि को अन्य को विक्रय करने पर आमादा है । अतः वदीगण/रेस्पो0 संख्या 1 लगायत 7 को विवादित आराजियात में 1/3 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे एवं प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावे । यह भी घोषित किया जावे कि अपीलांट/प्रतिवादीगण संख्या 2 लक्ष्मीनारायण का वादग्रस्त आराजी में कोई हक व हिस्सा नही है । प्रतिवादीगण/अपीलांट एवं शेष रेस्पो0 ने वादपत्र का जवाबदावा पेश किया साथ ही काउन्टर क्लेम पेश कर वादी एवं प्रतिवादीगण के मध्य 1/4, 1/4 हिस्से अनुसार बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस के विभाजन की मांग की । सहायक कलक्टर, मकराना ने अपने निर्णय व डिक्री दिनांक 18.01.2001 के द्वारा वादीगण/रेस्पो0 संख्या 1 लगायत 7 के दावे को अस्वीकार कर अपीलांट के काउन्टर क्लेम को स्वीकार कर वादग्रस्त आराजी को स्व0 जोरावलमल के चारों पुत्रों में बराबर–बराबर विभाजन करने की डिक्री पारित की । सहायक कलक्टर, मकराना के उक्त निर्णय व डिक्री दिनांक 18.01.2001 के विरूद्ध वादी/रेस्पो0 संख्या 1 श्यामसुन्दर ने राजस्व अपील प्राधिकारी, नागौर के न्यायालय में प्रथम अपील पेश की जो निर्णय व डिक्री दिनांक 31.10.2003 को रेस्पो0 संख्या 1 द्वारा प्रस्तुत अपील को स्वीकार कर अपीलांट का वादग्रस्त आराजी में कोई हक व हिस्सा नहीं माना एवं वादग्रस्त आराजी पर वादी/रेस्पो0 संख्या 1 से 7 का 1/3 हिस्सा व रेस्पो0 संख्या 8 का 1/3 हिस्सा व रेस्पो0 संख्या 9 लगायत 10 का 1/3 हिस्सा मानकर विभाजन की डिक्री पारित की । राजस्व अपील प्राधिकारी, नागौर के उक्त निर्णय व डिक्री दिनांक 31.10.2003 से व्यथित होकर अपीलांट ने यह द्वितीय अपील मण्डल के समक्ष पेश की है ।

3— हमनें उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस सुनी ।

4— विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने बहस में कथन किया कि प्रथम अपीलीय न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, नागौर का निर्णय व डिक्री दिनांक 31.10.2003 न्याय, नियम एवं रिकार्ड के विपरीत होने से निरस्तनीय है । अपीलीय न्यायालय ने परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री को निरस्त कर रेस्पो0 संख्या 1 की अपील को स्वीकार किया है किन्तु अपने निर्णय में प्रत्येक तनकी विवेचन, विश्लेषण नहीं किया है । इस कारण प्रथम अपीलीय न्यायालय का निर्णय व डिक्री निरस्तनीय है । राजस्व अपील प्राधिकारी, नागौर ने रेस्पो0

संख्या 1 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आदेश 41 नियम 27 जा0दी0 को स्वीकार करने में कानूनी भूल की है । उक्त प्रार्थना पत्र में वर्णित दस्तावेज महाराष्ट्र राज्य के है जिनकी संपूर्ण जांच करना आवश्यक था, किन्तु अपीलीय न्यायालय ने इस तथ्य को नजरअंदाज कर उक्त प्रार्थना पत्र को स्वीकार कर प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न दस्तावेजात के आधार पर रेस्पो0 संख्या 1 की अपील स्वीकार करने में विधिक त्रुटि कारित की है । बहस में आगे कथन किया कि वादग्रस्त आराजी जोरावरमल के साथ संवत् 2010 से 2014 की जमाबंदी में दर्ज थी एवं उनकी मृत्यु पश्चात् 2022 से 2025 में वादग्रस्त भूमि स्व0 जोरावरमल के चारों पुत्रों के नाम दर्ज चली आ रही है तब से सन् 1997 तक रेस्पो0 संख्या 1 से 7 ने राजस्व रिकार्ड को चेलेन्ज नहीं किया फिर भी इस तथ्य को नजरअंदाज कर जो निर्णय व डिक्री प्रथम अपीलीय न्यायालय ने पारित की है वह निरसतनीय है। वादी ने अपने वाद में रामाकिशन को 60 वर्ष पूर्व चुन्नीलाल के गोद जाना बताया है जबकि रामाकिशन के पुत्र लक्ष्मी नारायण की उम्र 60 वर्ष है । अतः मात्र 3 वर्ष के रामाककिशन के 60 वर्ष का पुत्र कैसे हो सकता है । वादी ने अपने वाद पत्र में चुन्नीलाल किसका पुत्र था का भी उल्लेख नहीं किया और ना ही वादी ने कोई गोदनामा ही प्रस्तुत किया है फिर भी इन समस्त तथ्यों को नजरअंदाज कर मात्र कयास के आधार पर रामाकिशन को गोद जाना मानकर जो निर्णय व डिक्री पारित की है वह काबिल निरस्तनीय है । वादी ने अपने वादपत्र में रामाकिशन को 20 वर्ष फौत होना बताया है जबकि अपीलांट ने अपनी शाहदत व सबूत से पूर्णतया सिद्ध कर दिया था कि रामाकिशन की मृत्यु सन् 1995 में हुई थी । इससे स्पष्ट है कि वादी स्वच्छ हाथों से न्यायालय में नहीं आया है । प्रथम अपीलीय न्यायालय ने अपने निर्णय में खसरा गिरदावरी में रामकाकिशन की काश्त दर्ज नहीं होने से उसे गोद जाना माना है जो विधि विरूद्ध है । अपीलीय न्यायालय ने रेस्पो0 द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों का बिना कोई विवेचन किये रामाकिशन को चुन्नीलाल के गोद जाना मानकर एवं गोद जाने पर कब्जा नहीं मानकर रेस्पो0 संख्या 1 लगायत 7 को 1/3 हिस्से का खातेदार घोषित किया है वह विधि के विपरीत है । अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर राजस्व अपील प्राधिकारी, नागौर द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 31.10.2003 को निरस्त किया जावे तथा सहाय कलक्टर, मकराना द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 18.01.2001 को कन्फर्म किया जावे ।

6— योग्य अधिवक्ता प्रत्यर्थीगण ने बहस में कथन किया कि रामाकिशन चुन्नीलाल के गोद चला गया था इस कारण वह अपने जायंदा पिता की सम्पति में कोई हक व अधिकार प्राप्त नहीं कर सकता है । जोरावरमल की मृत्यु के समय रामाकिशन चुन्नीलाल के गोद जा चुका था लेकिन त्रुटिवश नामांतकरण चारों के नाम अंकित कर दिया गया लेकिन खसरा गिरदावरी संवत् 2014 तथा

उसके पश्चात् की खसरा गिरदावरियों में जगदीश, रामप्रसाद व रामदयाल का ही नाम दर्ज है । इससे पूर्णतया स्पष्ट है कि रामाकिशन गोद जा चुका था । मौका कमिश्नर व गवाह वादी पी0डब्ल्यू0 1 रामेश्वर, पी0डब्ल्यू0 2 खीवाराम, खेत के पड़ौसी पी0डब्ल्यू0 3 श्यामसुन्दर ने इस तथ्य को अपने बयानों से साबित किया है । इसी प्रकार लक्ष्मीनारायण, डी0डब्ल्यू0–2 बालमुकन्द ने अपने बयानों में यह माना है कि मौके पर तीन हीं बंट है । रामाकिशन के चुन्नीलाल के गोद जाने के समर्थन में दस्तावेजी साक्ष्य यथा शाला दाखिला प्रमाण पत्र, रामाकिशन की मृत्यु प्रमाण पत्र तथा ग्राम पंचायत नेरी के मकान के मालिक के दस्तावेजात से होती है । प्रथम अपीलीय न्यायालय ने विधिसम्मत् रूप से रेस्पो0 का वाद डिक्री किया है जिसमें किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है । अतः अपील अपीलांट खारिज की जावे ।

7— हमनें योग्य अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया, पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख व आक्षेपित निर्णय का अवलोकन किया।

8— पत्रावली का अवलोकन करने से जाहिर होता है कि सहायक कलक्टर, मकराना के समक्ष वादीगण रामस्वरूप के वारिसान एवं श्यामसुन्दर पुत्र जगदीश ने प्रतिवादीगण रामदयाल के समक्ष वाद प्रस्तुत कर कथन किया कि जोरावरमल के चार पुत्र जगदीश, रामदयाल, रामाकिशन व रामप्रसाद है । जगदीश पुत्र जोरावरमल के वारिसान वादीगण संख्या 1/1 लगायत 1/6 एवं वादी संख्या 2 है । प्रतिवादी संख्या 1 रामदयाल स्वंय है । लक्ष्मीनारायण प्रतिवादी संख्या 2 है तथा प्रतिवादी संख्या 3 लगायत 10 रामप्रसाद पुत्र जोरावरमल के वारिसान है । वादीगण ने वाद में कथन किया कि रामाकिशन पुत्र जोरावरमल को तीन वर्ष की आयु मं ही चुन्नीलाल ने गोद ले लिया था जिससे उसका मूल पिता जोरावरमल की सम्पति में कोई हक व हिस्सा नहीं है तथा विवादित आराजियात में वादीगण संख्या 1 लगायत 7 का 1/3 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 1 रामदयाल का 1/3 हिस्सा एवं प्रतिवादी संख्या 3 लगायत 10 का 1/3 हिस्सा है । किन्तु रामाकिशन के फौत होने पर राजस्व रिकार्ड में प्रतिवादी संख्या 2 लक्ष्मीनारायण का नाम राजस्व रिकार्ड में गलती से दर्ज हो गया है जो गलत इंद्राज है । अतः वाद स्वीकार कर वादी को विवादित आराजियात में 1/3 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे तथा प्रतिवादी संख्या 2 लक्ष्मीनारायण का नाम हजब किया जावे । प्रतिवादी संख्या 2 लगायत 10 ने जरिये अभिभाषक जवाबदावा पेश किया साथ ही काउन्टर क्लेम पेश कर कथन किया कि रामाकिशन कभी भी चुन्नीलाल के गोद नहीं गया है । अतः वादग्रस्त आराजियात में प्रतिवादी रामाकिशन को भी 1/4 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे । परीक्षण न्यायालय ने वादपत्र एवं जवाबदावा एवं काउन्टर क्लेम के आधार पर

वाद में कुल पांच तनकियात कायम कर अपने निर्णय व डिक्री दिनांक 18.01.2001 द्वारा वादीगण का वाद खारिज किया तथा प्रतिवादी संख्या 2 लगायत 10 द्वारा प्रस्तुत काउन्टर क्लेम स्वीकार कर विवादित आराजियात में वादीगण को 1/4 हिस्से का, प्रतिवादी संख्या 1 रामदयाल को 1/4 हिस्से का, लक्ष्मीनारायण पुत्र रामाकिशन को 1/4 हिस्से का तथा प्रतिवादी संख्या 3 लगायत 10 पुत्रगण रामप्रसाद को 1/4 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया । परीक्षण न्यायालय के उक्त निर्णय व डिक्री के विरूद्ध वादी संख्या 2 श्यामसुन्दर पुत्र जगदीश ने राजस्व अपील प्राधिकारी, नागौर के न्यायालय के समक्ष अपील पेश जिसे अपीलीय न्यायालय ने अपने निर्णय व डिक्री दिनांक 31.10.2003 द्वारा वादीगण की अपील स्वीकार कर परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 18.01.2001 को निरस्त करते हुए वादीगण का वाद डिक्री किया है ।

9— पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि परीक्षण न्यायालय द्वारा वाद में कुल पांच तनकीयात कायम की जाकर तनकीवार निर्णय पारित करते हुए वादीगण का वाद खारिज कर प्रतिवादी संख्या 2 लगायत 10 का काउन्टर क्लेम स्वीकार किया है जिसे प्रथम अपीलीय न्यायालय ने प्रत्येक तनकी पर अपना स्पष्ट विवेचन, विश्लेषण पारित किए बिना निरस्त कर वादीगण का वाद स्वीकार किया है जिसे विधिसम्मत् नहीं माना जा सकता है। जाप्ता दीवानी के आदेश 41 नियम 31 के प्रावधानों के अनुसार प्रत्येक तनकी पर स्पष्ट विवेचन, विश्लेषण अंकित कर निर्णय पारित किया जाना आज्ञापक है । जाप्ता दीवानी आदेश 41 नियम 31 में स्पष्ट प्रावधान प्रावधित किया गया है कि—

आदेश 41 नियम 31— निर्णय की अन्तर्वस्तु, तारीख और हस्ताक्षर—अपील न्यायालय का निर्णय लिखित होगा और उसमें—

(क) अवधार्य प्रश्न,

(ख) उन पर विनिश्चय,

(ग) विनिश्चय के लिए कारण, तथा

(घ) जहां वह डिक्री जिसकी अपील की कगई है उलट दी जाती है या उसमें फेरफार किया जाता है वहां वह अनुतोष जिसका अपीलार्थी हकदार है, कथित होगा, और वह न्यायाधीश द्वारा या उसमें सहमत न्यायाधीशों द्वारा उस समय जब वह सुनाया जाए, हस्ताक्षरित और दिनांकित किया जाएगा । "

10— उक्त विवेचन से स्पष्ट है कि प्रथम अपीलीय न्यायालय ने तनकीवार निर्णय पारित नहीं किया है जो आदेश 41 नियम 31 जा0दी0 के आज्ञापक प्रावधानों के विपरीत होने से विधिसम्मत् नहीं माना जा सकता है ।

11— उपरोक्त विवेचन अनुसार अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है तथा राजस्व अपील प्राधिकारी, नागौर द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 31.10.2003 निरस्त किया जाकर प्रकरण राजस्व अपील प्राधिकारी,

नागौर को प्रतिप्रेषित कर निर्देश दिये जाते है कि प्रकरण में उभयपक्ष को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर प्रत्येक तनकी पर अपना स्पष्ट विवेचन, विश्लेषण अंकित करते हुए विधिसम्मत् निर्णय पारित करे ।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(सी0आर0 मीणा) सदस्य	(राजेश्वर सिंह) अध्यक्ष